परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 29 जुलाई 2014 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	8 जुलाई 14

परियोजना का नाम	असम पावर सेक्टर निवेश कार्यक्रम
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	47101-001
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

क्षेत्र तथा/अथवा उपक्षेत्र वर्गीकरण	ऊर्जा / ऊर्जा
विषयगत वर्गीकरण	
लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग	कोई लिंग तत्व नहीं

वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रूपात्मकता	अनुमोदन संख्या	वित्तपोषण का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
ऋण	0083	साधारण पूंजी संसाधन	300,000
–	–	प्रतिपक्ष	130,000
योग			यूएस **$ 430,000**

संरक्षा संवर्ग

संरक्षा संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories देखें

पर्यावरण	—
अस्वैच्छिक पुनर्वास	—
स्वदेशी लोग	—

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण–पहलू
ख

अस्वैच्छिक पुनर्वास
ग

स्वदेशी लोग
ग

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान
स्टेकहोल्डरों के परामर्श और उनकी प्रतिभागिता चल रही है तथा परियोजना प्रोसेसिंग तथा डिजाइन के दौरान जारी रहेगी।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान स्टेकहोल्डरों के परामर्श और उनकी प्रतिभागिता की व्यवस्था की जाएगी।

विवरण

असम पावर सेक्टर निवेश कार्यक्रम (कार्यक्रम) भारत के असम राज्य में जनन क्षमता संवर्धन तथा वितरण दक्षता सुधार उप परियोजनाओं के निधीयन हेतु एक बहुखण्डीय वित्तपोषण सुविधा (एमएफएफ) है। इस निवेश कार्यक्रम का उद्देश्य असम में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हासिल करना है। इस कार्यक्रम की कुल राशि 300 मिलियन डॉलर होगी तथा खण्ड 1 की राशि 50 मिलियन डॉलर तक होने की आशा है। खण्ड 1 के निवेश घटक निम्न हेतु होंगे : (i) लाकवा में 60 मेगावाट के कम बचतकारी गैस टर्बाइन के स्थान पर 70 मेगावाट का नया बचतकारी संयंत्र स्थापित करना ; (ii) असम पावर जेनरेशन कम्पनी (एपीजीसी) तथा असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन (एपीडीसी) हेतु कार्यान्वयन एवं क्षमता निर्माण सहायता। भावी खण्डों में 120 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना तथा शहरी असम में वितरण दक्षता सुधार परियोजनाएं शामिल होंगी।

■ परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

वर्ष 2011–12 के दौरान असम की अधिकतम विद्युत मांग 1250 मेगावाट दर्ज की गई थी ; जबकि राज्य के अपने स्वयं के विद्युत उत्पादन सहित कुल उपलब्धता 960 मेगावाट मात्र थी, जो अधिकतम मांग से 290 मेगावाट कम है तथा 23.2 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। असम अधिकतम मांग के समय खुले बाजार (भारतीय ऊर्जा विनिमय, आईईएक्स) से महंगी दरों पर बिजली खरीदता है। राज्य में वर्ष 2011–12 के दौरान 29.29 प्रतिशत पारेषण और वितरण हानि होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य में अपर्याप्त और अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति से राज्य के विनिर्माण तथा कृषि उद्योगों में प्रतिस्पर्धा का क्षय हो रहा है तथा निवेश में बाधा पैदा हो रही है। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत भारत में सबसे कम है। वर्ष 2009–10 में असम में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 209.21 किलोवाटघंटा थी जबकि सम्पूर्ण भारत का औसत 739.44 किलोवाटघंटा थी। उचित दर पर पर्याप्त और विश्वसनीय बिजली राज्य के आर्थिक विकास तथा गरीबी कम करने के लिए एक अनिवार्यता है। वर्ष 2010–11 तक, राज्य के कुल 25,124 गांवों में से केवल 19,729 गांवों का विद्युतीकरण किया जा सका था। तथापि, सरकार की वर्तमान में जारी पहलों के तहत, राज्य के सभी गांव 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अंत तक ग्रिड के साथ जोड़े जा रहे हैं। राज्य में कुल 700 चाय बागान हैं, जिनकी बिजली मांग का औसत 300 किलोवाट है। इन चायबागान की मांग कुल मिलाकर लगभग 210 मेगावाट है। इसमें से 60 मेगावाट की आपूर्ति ग्रिड से की जाती है तथा शेष की आपूर्ति कोयले के जरिये की जा रही है। इन कारणों से राज्य की बिजली मांग में कई गुना वृद्धि होने की संभावना है तथा 2019–20 तक यह मांग 2222 मेगावाट तक पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया गया है। उस समय तक मांग और पूर्ति के बीच अंतर बढ़कर 516 मेगावाट हो जाएगा। इस बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए असम को इसका पारेषण तथा वितरण नेटवर्क सुधारने और बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। एडीबी द्वारा पारेषण तथा वितरण प्रणाली के लिए एक मास्टर प्लान और न्यूनतम लागत समाधान तैयार करने के लिए असम को सहायता प्रदान की गई है।यह मास्टर प्लान सन 2008 में 11वीं पचवर्षीय योजना (2007–11) के अंत तक असम हेतु निवेश योजना के साथ तैयार किया गया। इस निवेश योजना के आधार पर, एडीबी द्वारा 2009 में एमएफएफ : असम पावर सेक्टर संवर्धन निवेश कार्यक्रम (एपीएसईआईपी) के तहत 200 मिलियन डॉलर की राशि हेतु एक एमएफएफ मंजूर किया गया। वर्तमान में एपीएसईआईपी का क्रियान्वन असम इलेक्ट्रिक ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड (एईजीसीएल), राज्य पारेषण उपयोगिता ; तथा असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एपीडीसीएल), राज्य वितरण उपयोगिता के माध्यम से किया जा रहा है ; एपीएसईआईपी की गतिविधियों में (i) नई पारेषण तथा वितरण लाइनों और उप केन्द्रों के निर्माण से बिजली हेतु पहुंच में सुधार तथा (ii) पारेषण उपकेन्द्रों तथा वितरण नेटवर्क्स के संवर्द्धन तथा पुनरसज्जीकरण के जरिये ऊर्जा कुशलता वृद्धि शामिल है। ऐसा माना जाता है कि एपीएसईआईपी के समापन पर, असम का पारेषण नेटवर्क विश्वसनीय और राज्य की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु कुशल हो जाएगा। तथापि, बिजली उत्पादन तथा वितरण सुधार के लिए निवेश जरूरतें और भी ज्यादा बड़ी हैं। असम में जल विद्युत उत्पादन की अदोहित संभावनाएं बहुत सीमित रह गई हैं, जो 500 मेगावाट के दायरे में हैं। राज्य में कोई नए गैस या कोयला लिंकेज उपलब्ध नहीं हैं तथा स्वदेशी कोलफील्ड के विकास का विकल्प पर्यावरण संबंधी कारणों से अनिश्चित है। राज्य की बिजली की बढ़ती मांग की पूर्ति किफायती दर पर करने के लिए, राज्य सरकार ने पुराने तथा अकुशल संयंत्रों के स्थान पर अधिक कुशल संयंत्रों की स्थापना द्वारा मौजूदा गैस लिंकेज का इष्टतम उपयोग करने और राज्य के उपलब्ध जल स्रोतों का विकास राज्य की बिजली उत्पादन उपयोगिता के माध्यम से करने का निर्णय किया है। बिजली उत्पादन क्षमता का विकास करने के अलावा, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि असम अपने वितरण अवसंरचना को कुशल और यथेष्ट बनाए, ताकि उपभोक्ताओं को कुशल और विश्वसनीय रूप से अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति की जा सके।

■ विकास प्रभाव

असम में बिजली की उपलब्धता में सुधार

■ परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
असम में ऊर्जा उत्पादन – तथा वितरण प्रणालियों की क्षमता और कुशलता में वृद्धि	–

■ आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)
उत्पादन प्रणाली समुन्नत तथा विस्तारित – वितरण प्रणाली समुन्नत तथा विस्तारित एपीजीसी तथा एपीडीसी की संस्थानिक क्षमता सुदृढ़ीकृत उपयुक्त परियोजना प्रबंधन प्रणाली	–
विकास परियोजनाओं की स्थिति	महत्वपूर्ण परिवर्तन
–	–

■ व्यवसाय के अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि 28 मई 13

परामर्शी सेवाएं

एडीबी व्यक्तिगत रूप से अथवा फर्म(फर्मों) अथवा फर्मों के संघ के माध्यम से निम्नलिखित परामर्शदाताओं (राष्ट्रीय तथा/अथवा अंतरराष्ट्रीय) की नियुक्ति करेगा – परियोजना विशेषज्ञ/टीम लीडर (अंतरराष्ट्रीय), आर्थिक और वित्तीय विश्लेषण (अंतरराष्ट्रीय), पर्यावरण आकलन एवं प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय), सामाजिक सुरक्षोपाय विशेषज्ञ (अंतरराष्ट्रीय), सामाजिक सुरक्षोपाय विशेषज्ञ (राष्ट्रीय), अधिप्राप्ति विशेषज्ञ (राष्ट्रीय), समुदाय विकास विशेषज्ञ (राष्ट्रीय), जलविद्युत निर्माण योजना विशेषज्ञ (राष्ट्रीय), जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिक (अंतरराष्ट्रीय), जनन आस्तियां एवं मालसूची प्रबंधन विशेषज्ञ (अंतरराष्ट्रीय) और पर्यावरण आकलन एवं प्रबंधन (राष्ट्रीय)। परामर्शदाताओं की नियुक्ति एडीबी तथा इसके कर्जदारों द्वारा परामर्शदाताओं के उपयोग पर मार्गदर्शी सिद्धांत (2010 समय–समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार की जाएगी। परामर्शदाताओं का वित्तपोषण आईएनडी–सीटीए 0003 : गरीबी के उपशमन हेतु अग्रगत परियोजना उद्यतता के तहत टीए–8351 उपपरियोजना के तहत किया जाएगा।

अधिप्राप्ति

निवेश कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित किए जाने वाल माल, उपस्कर तथा सिविल कार्यों की अधिप्राप्ति एडीबी अधिप्राप्ति मार्गदर्शी सिद्धांत (2010 समय–समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार की जाएगी। सिविल निर्माणों तथा टर्नकी संविदाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलीदान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 1 मिलियन डॉलर के कम अनुमानित लागत के माल और उपस्कर हेतु संविदाओं के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलीदान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अग्रिम संविदाओं तथा/अथवा पूर्वप्रभावी वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। परामर्शदाताओं की नियुक्ति परियोजना प्रबंधन में सहायता के लिए की जाएगी। खण्ड 1 में गैस संयंत्र प्रतिस्थापन के लिए एक प्रमुख टर्नकी संविदा होगी।

प्रापण और परामर्शी सूचनाएं

http://www.adb.org/projects/47101-001/business-opportunities

समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	30 मई 13
तथ्य–अन्वेषण	03 सितम्बर 2013 से 12 सितम्बर 2013 तक
प्रबंध समीक्षा बैठक	18 फरवरी 14
अनुमोदन	3 जुलाई 14
नवीनतम समीक्षा मिशन	–

मीलपत्थर

अनुमोदन संख्या	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभावोत्पादकता	अनुमोदन समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
–	–	–	–	–	–	–

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एशियाई विकास बैंक (यूएस $ हजार)	अन्य (यूएस $ हजार)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा पुरस्कार				
–	–	–	–	–
संचयी संवितरण				
–	–	–	–	–

प्रसंविदाओं की स्थिति

प्रसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की गई हैं –– लेखापरीक्षित परियोजना वित्तीय विवरण, सुरक्षा उपाय, सामाजिक, क्षेत्र, वित्तीय, आर्थिक और अन्य। प्रसंविदाओं अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संवर्गों द्वारा किया जाता है : (i) संतोषजनक –– इस संवर्ग में सभी प्रसंविदाओं का अनुपालन किया जाता है, अधिकतम एक अपवाद के साथ, (ii) आंशिक संतोषजनक –– इस संवर्ग में अधिकतम दो प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, (iii) असंतोषजनक –– इस संवर्ग में तीन या अधिक प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, सार्वजनिक संचार नीति 2011 के अनुसार, परियोजना वित्तीय विवरणों हेतु प्रसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है जिनका वार्तालय हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल 2012 के पश्चात निर्धारित है।

अनुमोदन संख्या	संवर्ग						
	क्षेत्र	सामाजिक	वित्तीय	आर्थिक	अन्य	सुरक्षा उपाय	परियोजना वित्तीय विवरण
ऋण 0083	–	–	–	–	–	–	–

सम्पर्क और अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	हेराथ एम. गुणतिलके (hgunatilake@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	ऊर्जा प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	–

सम्पर्क

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/47101-001/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/47101-001/documents